कार्यालय कलेक्टर जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

राजगढ़, दिनांक 21 जनवरी, 2019

दिनांक 21 जनवरी, 2019 को आयोजित समय–सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए गए मुख्य निर्देश :–

1– माननीय प्रभारी मंत्री जी, जिला राजगढ़ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 23.01.19 हेतु सर्व संबंधित अधिकारीगण को विभागीय प्रेजेण्टेशन तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय प्रभारी मंत्री जी के द्वारा विशेषतः बैठक में विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की उपलब्धियों की समीक्षा, जय किसान फसल ऋण माफी योजना की समीक्षा, धनिया की फसल के नुकसान के संबंध में, मोहनपुरा, कुण्डालिया डेम से जल निगम के माध्यम से पेयजल योजनाओं एवं मोहनपुरा, कुण्डालिया बांध परियोजनाओं के विस्थापितों के पुनर्वास की समीक्षा की जावेगी।

2– सर्व संबंधित अधिकारीगण बैठक में दिए गए निर्देश अनुसार अपने–अपने विभाग में रिक्त पदों की जानकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

3– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ़ सुनिश्चित करें कि शासकीय चिकित्सालयों में एक्स–रे मशीन क्रियान्वित रहें, साथ ही आवश्यकता अनुसार एक्स–रे मशीन क्रय करें, ताकि मरीजों/घायलों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

4– समस्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि कोई अन्तर्विभागीय कार्य होने पर पहले संबंधित विभागीय अधिकारी से चर्चा करें, संबंधित अधिकारी द्वारा सहयोग न करने की स्थिति में मुझसे चर्चा करें।

5– पुनः निर्देशित किया गया कि समय–सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में केवल जिला अधिकारी सम्पूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होवे।

6– आदेश क्रमांक 527/उप संचा. कृषि/2019 दिनांक 18 जनवरी, 2019 के अनुसार बनाऐ गए समस्त नोडल अधिकारीगण पंचायतवार भ्रमण के दौरान कहां– कहां कितने आवेदन (सफेद/हरे) कृषकों द्वारा भरे एवं किन स्थानों पर सूची चस्पा पाई गई अथवा नहीं, की जानकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़ को **आज ही** प्रदान करें।

7– जिला अग्रणी प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, जिला राजगढ़ जिले में की जा रही कृषकों के आधार सीडिंग की जानकारी मुझे प्रतिदिन उपलब्ध कराये।

8– उप संचालक, कृषि एवं उद्यानिकी, जिला राजगढ़ जिले के जीरापुर–खिलचीपुर क्षेत्र का भ्रमण कर **आज ही** धनिया की फसल में हुए नुकसान का आंकलन कर मेरे समक्ष जानकारी प्रस्तुत करें। कृषकों को किसी भी प्रकार की फसल नुकसानी होने पर फसल

नुकसानी का सही–सही आंकलन कर (बैठक में दिए गए निर्देशानुसार) रिर्पोट तैयार करें, ताकि कृषकों को तत्संबंधी मुआवजा राशि प्रदान की जा सके।

9– प्रत्येक मंगलवार को आयोजित की जाने वाली जनसुनवाई के दौरान प्राप्त कृषक संबंधी समस्याओं/आवेदनों के निराकरण हेतु **उपायुक्त, सहकारिता, जिला राजगढ़ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।** जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का तत्परता के साथ त्वरित निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

10– उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाऐं, जिला राजगढ़ मुख्य नगर पालिका अधिकारी से समन्वय कर जिले के शहरी क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं को गौशालाओं में रखे जाने की व्यवस्था की जाना सुनिश्चित करें।

11– जनसुनवाई में प्राप्त होने वाली राजस्व संबंधी (अवैध कब्जा/अतिक्रमण आदि) शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु श्री बृजेन्द्र रावत, डिप्टी कलेक्टर, राजगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अनुविभाग अथवा तहसील/टप्पा स्तर पर दल का निर्धारण करें, जिसमें नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं होमगार्ड के कर्मचारी रहेगें। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों/आवेदनों के निराकरण हेतु व्हाट्सएप पर ग्रुप तैयार कर संबधितों की शिकायतों को ग्रुप में डालेगें जिस पर संबंधित तहसील के अधिकारी/कर्मचारी क्षेत्रीय भ्रमण कर उसी दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें। उपरोक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु **श्री बृजेन्द्र रावत, डिप्टी कलेक्टर, राजगढ़ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।**

12– स्वरोजगार योजनाओं से संबंधित जिला अधिकारी (पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग, अन्त्यावसायी, हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्यी ग्रामोद्योग, माटीकलां बोर्ड, एनआरएलएम, डीआईसी, डूडा, एलडीएम आदि) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला राजगढ़ के निर्देशन में स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण के लक्ष्य पूर्ण करें। साथ ही ऐसे 10 हितग्राहियों को चिन्हाकिंत करें जो वाहन (फोर व्हीलर) चलाना जानते हो, ताकि उन्हें पात्रता अनुसार ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

13– समस्त जिला अधिकारीगण अपने विभाग में बहुत अच्छा/उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की सूची अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ को प्रदान करें, ताकि उन्हे गणतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जा सके। ऑगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं विकलांगों आदि को भी सम्मिलित किया जावे।

14– निर्देशित किया जाता है कि शासकीय पाठशालाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र/छात्राओं के गुणवत्ता युक्त शिक्षा, स्वच्छता, अनुशासन एवं व्यक्तिगत विकास पर विशेष ध्यान दिया जावे। साथ ही प्रत्येक सप्ताह संकुल प्राचार्य के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण

दिया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक माह न्यूनतम 100 शिक्षकों को प्रशिक्षित करें। आगामी बैठक में मेरे समक्ष संकुलवार प्रशिक्षित किये गये शिक्षकों की सूची को प्रस्तुत करें।

जिला शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें कि आगामी बोर्ड परिक्षाओं से पूर्व कोई भी शिक्षक अवकाश पर न जावें, केवल विशेष परिस्थितियों में ही शिक्षकों के अवकाश के आवेदन स्वीकृत करें, शिक्षकों की अवकाश के आवेदन स्वीकृति उपरांत मेरे समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

15– डीपीओ म.बा.वि. द्वारा सूचित किया गया कि हमारे विभाग द्वारा 68 आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दो बार कारण बताओ सूचना पत्र दे दिया गया है एवं 110 कार्यकर्ताओं का 01 दिन का मानदेय काटा गया।

निर्देशित किया गया कि पत्र जारी करें जिसमें उल्लेख करें कि भ्रमण/निरीक्षण के दौरान आँगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने कर्त्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पायी गई अतः इनका एक दिवस का मानदेय काटा जाता है।

समस्त सीडीपीओ को निर्देशित करें कि रोस्टर तैयार कर आँगनबाड़ी केन्द्रवार निरीक्षण किया जावे, आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति (जिसमें समय का भी उल्लेख हो) पंजी तैयार करें, निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाई गयी आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का रिकॉर्ड तैयार कर आगामी बैठक में उक्त उपस्थिति पंजी आप मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, सूचारू रूप से कार्य न करने वाली कार्यकर्ताओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

16– कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला राजगढ़ बैठक में दिए गए निर्देश अनुसार टैण्डर जारी करें, एवं प्रत्येक टेण्डर की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करें। **आज ही** टेण्डर की रिर्पोट सीईओ, जिला पंचायत को दिखावें एवं अपलोड करें।

17– समस्त निर्माण विभाग अपने विभाग अंतर्गत चल रहे निमार्ण कार्यों की जानकारी प्रत्येक सप्ताह मुझे दें, टेण्डर का कार्य कब किया गया, किन–किन स्थानों पर निमार्ण कार्य किया जा रहा है, कॉन्ट्रेक्टर कौन है एवं प्रति सप्ताह कार्य में कितनी प्रगति आयी, इसका नियमित निरीक्षण करते रहें एवं मुझे प्रत्येक टीएल बैठक में जानकारी उपलब्ध करायें।

18– गर्मी आने पूर्व अपनी समस्त नल–जल योजनाओं को सुधरवाएं, ताकि आगामी ग्रीष्म ऋतु में जल संबंधी कोई समस्या उत्पन्न न होने पाए।

19– पुनः निर्देशित किया जाता है कि मोहनपुरा/कुण्डालिया वृहद बांध परियोजना अंतर्गत आने वाली सीएम हेल्पलाईन एवं जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों मुआवजा, पुर्नवास एवं विस्थापन संबंधी के निराकरण हेतु लंबित शिकायतों के प्रिंट आउट निकाले, एंव संबंधित क्षेत्रों में शिविर लगाकर शिकायतों का निराकरण किया जावें। सप्ताह के 02–03 दिन कार्य योजना

बनाकर शिविर लगाऐं, एवं शिकायतों का निराकरण करें, जिन शिकायतों का निराकरण नहीं किया जा सकता, उस पर अपनी स्पष्ट टीप अंकित कर शिकायतों को क्लोज करवायें ।

20– बीपीएल कार्ड हेतु आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित तहसीलदार प्रतिवेदन तत्काल CEO/सीएमओ को मेल करें, सीएमओ प्रतिदिन मेल चेक करें, एवं बीपीएल कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों पर आगामी कार्यवही करें। सीएमओ समग्र पोर्टल पर आवेदन को दर्ज कर खाद्य विभाग के कार्यालय भेजे एवं खाद्य अधिकारी, अनुशंसा तत्काल कार्यवाही करें। खाद्य अधिकारी उक्त आवेदन को एनएफएसए पोर्टल पर दर्ज करें एवं रिकॉर्ड रखे। **उक्त समस्त कार्य के लिए अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ नोडल अधिकारी रहेगीं।** सिस्टम में कोई समस्या हो तो मुझे अवगत करायें।

21– जिला परिवहन अधिकारी, बसेस की चेंकिग के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। ओवर लोडेड बसेस एवं अन्य वाहनों को चेक किया जावें। जिले में वाहनों (बसेस) की संख्या बढ़ाने हेतु कार्य योजना बनाऐ। ऐसे क्षेत्रों की रूटवाइस लिस्ट बनाऐं जहां पर बसे कम संख्या में चलती हैं। ओवरलोडेड रहती है, वहां ऋण आदि उपलब्ध कराकर नवीन बसें प्रारंभ की जावेगी। समस्त बस चालक से बस में यात्रा करने वाले दिव्यांगों एवं जो फ्री पासेस पर यात्रा करते है उनकी जानकारी एकत्रित कर आगामी बैठक में मेरे समक्ष प्रस्तुत करें।

22– प्रभारी मंत्री जी की बैठक हेतु निम्नानुसार विभागीय प्रेजेण्टेशन तैयार करें:–

1– शिक्षा विभाग:– डीपीसी / डीईओ / प्राचार्य शासकीय कॉलेज एवं आईटीआई प्रिसिंपल संयुक्त रूप से अपना पीपीटी प्रस्तुत करें:–

- गणवेश वितरण, साईकिल वितरण एवं पुस्तकों के वितरण की जानकारी सत्र 2017–18 में कितने छात्रों के विरूद्ध कितने छात्रों को उपरोक्त वस्तुओं का वितरण किया गया, एवं भविष्य में आपके विभागीय के लक्ष्य क्या है।
- जिला शिक्षा अधिकारी, कितने छात्र / छात्राओं को लैपटॉप वितरण किया गया एवं वर्तमान में कितने छात्र / छात्राऐं उक्त योजना के लाभ से वंचित है, का उल्लेख करें।

2– स्वास्थ्य विभाग :–

- जिला चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों की उपलब्धता, कितने पद रिक्त हैं, कौन–कौन से स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील हैं, की जानकारी दें। प्रेजेण्टेशन में जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग की आधारभूत जानकारी का उल्लेख करें। विभागीय मांग एवं मानव स्त्रोत की पूर्ति हेतु अंत में एक स्लाईड रखी जावे।

3– निर्माण विभाग :–

- अधीक्षण यंत्री, मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जिला राजगढ़ माननीय ऊर्जा मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के उपरांत कार्यों में क्या – क्या प्रगति की गई । किन –किन स्थानों विद्युत संबंधी कार्य किया गया, की फोटो

शेयर करें। अपने विभागीय लक्ष्य एवं पूर्ति को भी प्रस्तुतिकरण में सम्मिलित किया जावे।

4— जल संसाधन विभाग :—

- समस्त निर्माण विभाग संयुक्त रूप से जिले में अपने बड़े—बड़े कार्यों का प्रेजेण्टेशन तैयार करें।

5— खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग :—

- खाद्य विभाग अपने जिलें में कुल दुकानों, सेल्समेन, पीओएस मशीन, सोशायटी एवं उपभोक्ताओं की जानकारी संबंधी पहली स्लाईड रखे।
- जिले में चलाये जा रहे अभियान एवं उपलब्धियों हेतु स्लाईड तैयार करें।

6— आबकारी विभाग :—

- माननीय प्रभारी मंत्री की बैठक हेतु अपने विभाग की पिछले छः माह में की गई कार्यवाही एवं आगामी लक्ष्य आदि को सम्मिलित कर प्रेजेण्टेशन तैयार करें।
- विभिन्न क्षेत्रों में शराब बंदी हेतु कार्यवाही किये जाने के लिए गोपनीय रिर्पोट तैयार कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें।

7— कार्यपालन यंत्री, जल निगम, राजगढ़ बैठक में दिए गए निर्देश अनुसार नक्शा तैयार कर माननीय प्रभारी मंत्री जी की बैठक हेतु प्रेजेण्टेशन तैयार करें।

समस्त जिला अधिकारीगण उपरोक्त दिये गये निर्देश अनुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—सर्व संबंधित अधिकारीगण, जिला राजगढ़)

कलेक्टर,
जिला राजगढ़, म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

क्रमांक 818 /टीएल/19 — राजगढ़, दिनांक 21 जनवरी, 2019 29-1-19

प्रतिलिपिः

1— सुश्री रोशनी वर्धमान, डिप्टी कलेक्टर, प्रभारी अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर जिला राजगढ़।

2— सर्व जिलाधिकारी...जिला राजगढ़

की ओर सूचनार्थ एवं दिए गए निर्देशों का पालन कर पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

कलेक्टर,
जिला राजगढ़, म.प्र.